अनवान कानसिंह v/s विशनसिंह

मुकदमा नंबर 153 / 2023

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल रहे। दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से विप्रार्थीगण माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का नेखमबंदी का आदेश फरमाया जावे। विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि विप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर कभी भी अतिक्रमण या कब्जा नहीं किया गया विप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन प्रार्थी संख्या 3 की सहमति से पेश होना बताया है परन्तु प्रार्थी संख्या 3 ने उक्त आवेदन पत्र पर सहमति नहीं दी है । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावे। हमने दोनो पक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता से अवलोकन व मनन किया । प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि पर नेखम कायम करना चाहते है जिस बाबत विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंऊ तहसील सिवाना की खसरा संख्या 451/64 ,452/64 व 453/64 रकबा: क्रमशः 6.7906, 0:4289 व 10.5946 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता [illegible] तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से [illegible] करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार [illegible] प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना [illegible] प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot

Date: 2025.03.29 18:47:47 IST

Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक/2025/365 | दिनांक : 04.03.2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
कानसिंह पुत्र दलसिंह वगैरा		विशनसिंह पुत्र जेठूसिंह वगैरा

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं. 153/2023 दिनांक :– 28.02.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम पंऊ तहसील सिवाना की खसरा संख्या 451/64 ,452/64 व 453/64 रकबा 6.7906, 0.4289 व 10.5946 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000/–प्रार्थीगण मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक /2025/366 | दिनांक : 04.03.2025

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी पंऊ को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी कानसिंह पुत्र दलसिंह कौम पुरोहित निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.29 18:47:47 IST
Reason: SelfAttested